न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 31/2017 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती नारायणी डांगी पुत्री स्वर्गीय माना जी डांगी, पत्नी गंगाराम जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हाल निवासी 460, खेड़ा मजरा, कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

नानजी उर्फ नौजी पिता भेरा जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 27.12.2012 प्र.सं. 157/11

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री एस. पी. गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री गणेशलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 23–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के पिता स्वर्गीय श्री मगना जी के नाम राजस्व ग्राम खरबड़िया में आराजी नंबर 79 व 2736/60 किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त कृषि आराजियात में वादिया के पिता स्वर्गीय श्री मगना जी का भी अपने भाईयों गोदा, मगना, जीवा, भवाना उर्फ गमाना एवं नानजी पिता भेरा का संयुक्त 1/3 हक एवं हिस्सा स्थित है एवं गोदा, गमाना, जीवा के फोत होने से मगना का 1/6 एवं नौजा पिता भेरा का 1/6 हक हिस्सा स्थित है।

इसी प्रकार राजस्व ग्राम खरबड़िया में आराजी नंबर 56, 57, 59, 75, 76, 78 किता 6 रकबा 0.4650 हैक्टर स्वर्गीय माना के पिता भेरा जी एवं भेरा के पिता श्री सामा जी डांगी एवं सामा के पिता खुमा जी डांगी की कृषि

भूमियां स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में गोदा, गमाना, जीवा, मगना, नानजी पिता स्वर्गीय भेरा डांगी के नाम दर्ज थी एवं गोदा, गमाना व जीता के फोता होने पर मगना 3/3 व नोजा 3/5 के नाम दर्ज हुई। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वादिया के पिता गमाना जी अनपढ़, ग्रामीण एवं बुजुर्ग व्यक्ति थे तथा वादिया वाद वर्णित भूमियों पर अपने पिता के साथ काश्त करती थी, किन्तु नोजा जी की उक्त आराजियात पर टेढ़ी नजर होने से भूमि विक्रय करने पर आमादा है। स्वर्गीय मगना जी अनपढ़ व बुजुर्ग होने से नोजा ने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर उक्त भूमियों का हक त्याद अपने हक में निष्पादित कर पंजीकृत करवा लिया, जिससे वादिया को घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। अतः वाद वर्णित भूमियों में स्वर्गीय मगना के पिता स्वर्गीय भेरा एवं स्वर्गीय भेरा के पिता सामा पिता खुमा जी डांगी के नाम दर्ज आराजियात में मगना के हिस्से अनुसार वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा जवाबदावे के विशेष कथन में निवेदन किया कि मृतक मगना की पत्नी वादिया की माता का निधन अर्से पूर्व वादिया की बाल्यावस्था में हो जाने से वादिया की देखभाल, परवरिश व विवाह आदि का खर्चा प्रतिवादी द्वारा किया जाता रहा था तथा मगना की देखभाल भी प्रतिवादी द्वारा की गयी एवं प्रतिवादी ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर पंजीकृत हक त्याग से मालिक हैं। प्रतिवादी द्वारा हस्तान्तरण विधिक तरीके से किया गया है, जिससे पंजीकृत दस्तावेजों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादिया का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादिया का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 27–12–2012 से वादीया खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–04–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री गणेशलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 01–03–2017 को हुई, तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट जो अपने आवेदन में जो कारण दर्शाये हैं वे गलत होकर मानने योग्य नहीं हैं तथा 5 वर्षो के विलम्ब के लिए कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1110, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1381, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 व आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711 प्रस्तुत की।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2012 की मियाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 26–02–2013 तक यह अपील प्रस्तुत हो जानी थी, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 18–04–2017 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 4 वर्ष 2 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है इसके लिए जो कारण अपीलान्ट द्वारा बताये गये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त, जबकि देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1110, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1381, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 व आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711 अनुसार विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं होने से विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य हैं।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, गुणावगुण पर बहस के दौरान विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट/वादिया स्वर्गीय मगना जी की एकमात्र पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है। रेस्पोन्डेन्ट ने बदनियती एवं धोखाधड़ी करते हुए हक त्याग अपने हक में करवाया है, जो अपीलान्ट के मुकाबले अवैध व शून्य प्रभावी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया

जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 1998 0 ए.आई.आर. (राज.) 348, 1998 0 सुप्रीम (राज.) 315, 1998 1 डब्ल्यू.एल.एन. 616 राजस्थान स्टाम्प लॉ एक्ट आर्टिकल 55 एवं स्टाम्प एक्ट 1899 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 525 एवं आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 711 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''वादी को गवाह पेश करने हेतु विधिक अवसर दिये गये दिनांक 28–08–2012 को गवाही बन्द की गयी, जिसे वादी द्वारा प्रार्थना पत्र लगा पुनः अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया। वादी को पुनः गवाही हेतु अवसर दिया जाकर दिनांक 11–09–2012 को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान कर दिनांक 26–09–2012 को अन्तिम अवसर दिया गया। बावजूद अवसर साक्ष्य नहीं कराने, गवाही उपस्थिति नहीं होने, गवाही दिनांक 08–11–2012 को बन्द की गयी।'' अधिनस्थ न्यायालय की उपरोक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट को साक्ष्य/गवाही हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई साक्ष्य/गवाही नहीं करायी गयी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय पारित किया है उसे हम विधि सम्मत पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती नारायणी पुत्री मगना डांगी पत्नी गंगाराम डांगी, नि0 कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **नानजी उर्फ नौजा पिता भैरा डांगी, निवासी कानुपर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर**

अपील नं.....**31 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गिर्वा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**12**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**....माह.....**12**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री एस.पी. गोस्वामी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री गणेशलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2012 यथावत रखी जाती है।**

.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**12**.....**2019** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2019.12.30 15:33:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: